अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपीलवाद संख्या–02/2025

महेन्द्र रविदास वगै0 बनाम रामजतन मुण्डा एवं राज्य

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
16/07/25	आवेदक महेन्द्र रविदास, पिता–स्व0 कैला रविदास वगै0, ग्राम–कोठार, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ के द्वारा U/S-215 of C.N.T Act-1908 के तहत् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद सं0–55/2015–16 रामजतन मुण्डा बनाम् महेन्द्र रविदास वगै0 में दिनांक–17.12.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। तदोपरांत उभय पक्ष को नोटिस के माध्यम से सूचना निर्गत कर दिनांक–08.04.2025 को वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष एवं लिखित अभिकथन प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि मौजा–कोठार, खाता सं0–35, प्लॉट सं0–2105, रकवा–0.70 ए0 भूमि सर्वे खतियान में फुलु मुण्डा, पिता–गुगु मुण्डा के नाम से दर्ज है। फुलु मुंडा की मृत्यु के पश्चात् उनके दो पुत्रों, लाटो मुंडा और लालधारी मुंडा आपसी सहमति से प्लॉट संख्या 2105 की भूमि का बंटवारा कर लिया और इस बंटवारे के अनुसार, लाटो मुंडा को प्लॉट संख्या 2105 में 0.35 एकड़ भूमि और लालधारी मुंडा को प्लॉट संख्या 2105 में 0.35 एकड़ भूमि प्राप्त हुई। खाता संख्या 35, प्लॉट संख्या 2105, रकवा– 0.70 एकड़, जिला थाना–रामगढ़, कोठार, हजारीबाग (वर्तमान जिला रामगढ़) की भूमि पिछले सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्रवाई के दौरान फुलु मुंडा वल्द गुगु मुंडा के नाम दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या–1 के परदादा लालधारी मुंडा ने इलाके की प्रचलित प्रथा के अनुसार खाता संख्या 35 की भूमि बेच दी। ग्राम कोठार, थाना–रामगढ़, जिला हजारीबाग (वर्तमान जिला रामगढ़) की 0.70 एकड़ भूमि में से प्लॉट संख्या 2105, रकवा 0.35 एकड़, दिनांक–18.03.1942 को गुडू रविदास को बेच दिया गया और विक्रेता को उस पर कब्जा दे दिया गया। गुडू रविदास ने खरीद के बाद उक्त भूमि पर एकमात्र कब्जा कर लिया और उस पर एक कच्चा आवासीय मकान बनाकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहने लगे। गुडू रविदास चार भाई थे, जिनके नाम गुडू रविदास, हरखू रविदास, चरकू रविदास, चुरुआ रविदास और लेदवा रविदास थे। गुडू रविदास को कोई संतान नहीं है, इसलिए उनका भतीजा कार्तिक रविदास पुत्र लेदवा रविदास उनकी देखभाल और भरण–पोषण कर रहा था और वह गुडू रविदास के साथ रह रहा था। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि गुडुआ रविदास की मृत्यु हो गई थी और संबंधित भूमि उनके कानूनी उत्तराधिकारी कार्तिक रविदास को विरासत में मिली और उनका उस पर एकमात्र अधिकार हो गया। कार्तिक रविदास अपने पीछे चार पुत्रों कैला रविदास, लुखु रविदास, तिनका रविदास और बालो रविदास को छोड़कर मर गए और सौहार्दपूर्ण बंटवारे के बाद संबंधित भूमि कैला रविदास के हिस्से में आ गई, जिनका उस पर पूर्ण अधिकार हो गया और वे पूर्ण स्वामी के रूप में ही, और उक्त मकान पर रहने लगे। कैला रविदास ने लगभग 50 वर्ष पूर्व उक्त कच्चे मकान को गिराकर उस पर एक पक्का मकान बना लिया और उस भूमि को चारदीवारी से घेर लिया तथा अपने परिवार के सदस्यों के साथ उस पर रहने लगे। अपीलकर्ता कैला रविदास के पुत्र हैं और वे उक्त भवन में अपने परिवार	

के सदस्यों के साथ रह रहे हैं। अपीलकर्ता ने पेयजल के लिए उक्त भूमि पर एक बोरिंग भी करवाई है। प्रतिवादी संख्या–1 का उक्त भूमि पर 1942 से कब्जा नहीं है और प्रतिवादी का मामला पूरी तरह से समय सीमा पार कर चुका है। प्रतिवादी संख्या–1 के पिता ने शपथ पत्र देकर स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता 1942 से उक्त भूमि पर काबिज हैं। अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और कहा है कि प्रतिवादी 20 (बीस) वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज नहीं हैं। अंचल अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि उक्त भूमि पर मकान और चारदीवारी है। निम्न न्यायालय ने अपीलकर्ता के मामले को समझे बिना ही 17.12.2024 को मनमाने ढंग से आदेश पारित कर प्रतिवादी की याचिका स्वीकार कर ली। आवेदक के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा 55/2015–16, रामजतन मुंडा बनाम महेंद्र रविदास एवं अन्य में पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष एवं लिखित अभिकथन प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि मौजा–कोठार, थाना सं0–88 अन्तर्गत खाता सं0–35, प्लॉट सं0–2105, कुल रकवा–0.70 एकड़ भूमि साविक सर्वे खतियान में फुलु मुण्डा वल्द गुगु मुण्डा के नाम से रैयती दर्ज है। खाता सं0–35 के अन्तर्गत रकवा–8.06 एकड़ भूमि की जमाबंदी पंजी–II के पृ0सं0–164/। पर फुलु मुण्डा के नाम पर कायम है तथा लगान रसीद निर्गत हो रही है। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज हैं। विपक्षीगण बिना वैध दस्तावेज के आवेदक के हिस्से की जमीन मौजा–कोठार, थाना सं0–88 के प्लॉट सं0–2105, रकवा–0.70 ए0 मध्ये रकवा–0.35 ए0 पर अवैध रूप से कब्जा कर लिये हैं। उन्होंने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(4) ए के तहत् भूमि वापस करने का अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा की प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की है तथा प्रथम पक्ष के द्वारा जबरन कब्जा किये हुए है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4 (ए) के प्रावधानों के तहत् उक्त भूमि प्रथम पक्ष को वापस किया जा सकता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ ने अपने आदेश फलक में यह प्रतिवेदित किया है कि " उभय पक्षों के द्वारा दाखिल लिखित अभिकथन एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा समर्पित भूमि प्रतिवेदन के आलोक में प्रतीत होता है कि आदिवासी खाता की भूमि का अंतरण एवं दखल–कब्जा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(4)(a) के स्थापित नियम के विरूद्व किया गया है। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज हैं। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(4)(a) के प्रावधानों के तहत् मौजा–कोठार, थाना सं0–88, के खाता सं0–35, प्लॉट सं0–2105, रकवा–0.35 एकड़ भूमि पर से द्वितीय पक्ष को उच्छेदित करते हुए प्रथम पक्ष को भूमि वापस की जाती है।" भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा 30 दिनों के अन्दर उक्त भू–खण्ड पर खतियानी रैयत के वारिशानों को दखल दिलाने हेतु अंचल अधिकारी, रामगढ़ को निदेशित आदेश पारित किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा पारित

आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कोठार, खाता सं0–35, प्लॉट सं0–2105, रकवा–0.70 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में फुलु मुण्डा, पिता– गुगु मुण्डा के नाम से दर्ज है।

अपीलार्थी का कहना है कि उन्हें उक्त भूमि खतियानी रैयत के वंशज गुडु रविदास से दिनांक–18.03.1942 को प्राप्त है एवं उसी समय से भूमि पर घर बना कर रह रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का वैध कागजात नहीं दिया गया है। विपक्षी का कहना है कि मौजा–कोठार के खाता सं0–35, प्लॉट सं0–2105, रकवा–0.70 एकड भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी अवैध रूप से 0.35 एकड़ भूमि कब्जा किये हैं। हालांकि प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा माना गया है कि मेरे दादा जी के द्वारा दिनांक–18.03.1942 को उक्त भूमि सादा केवाला से बिक्री की गई है एवं अपीलार्थी के द्वारा वर्ष 1968 में कच्चा मकान तोड़ कर पक्का मकान का निर्माण किया गया है। उन्होंने यह भी माना है कि उन्हें नियम का ज्ञान नहीं रहने के कारण भू–वापसी का आवेदन समय पर दायर नहीं कर सके। अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बेदखली की अवधि लगभग 20 वर्ष है। एक तरफ विपक्षी क्रमांक 01 का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर वर्ष 1968 से मकान बना के रह रहे है, दूसरी तरफ अंचल अधिकारी, रामगढ़ का कहना है कि उक्त भूमि पर अपीलार्थी लगभग 20 वर्षों से बेदखल हैं। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए बेदखली अवधि की जाँच पुनः किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता रामगढ़ के द्वारा दिनांक–17.12.2024 को पारित आदेश को रद्द करते हुए, बेदखली की अवधि पर पुनः जाँच करने एवं Fresh आदेश पारित करने हेतु अभिलेख रिमांड किया जाता है। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

10/7/25

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

10/7/25

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by Kumari Geetanjali
Date: 2025.10.10 16:57:13 +05:30
Location: 192.168.0.13